संख्या-32 /2026/I/1228337/30-3-2026-2013848

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 05 फरवरी, 2026

विषय : परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रयोग किये जा रहे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन०आई०सी०) द्वारा विकसित विभिन्न पोर्टल (वाहन, सारथी, e-DAR एवं ई-चालान पोर्टल) को एकीकृत करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलीजेन्स (AI) आधारित प्लेटफार्म को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-108कं0से0/2024-83कं0से0/2025, दिनांक 16 जनवरी, 2026 द्वारा किये गये अनुरोध के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रयोग किये जा रहे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन०आई०सी०) द्वारा विकसित विभिन्न पोर्टल (वाहन, सारथी, e-DAR एवं ई-चालान पोर्टल) को एकीकृत करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलीजेन्स (AI) आधारित प्लेटफार्म को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में एन०आई०सी० को भुगतान की जाने वाली कुल धनराशि रू0 16.54 करोड़ (रू0 सोलह करोड़ चौवन लाख मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति एवं उक्त धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2025-26 में धनराशि रू० 8.34 करोड़ (रू0 आठ करोड़ चौंतीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए एन0आई0सी0 को अग्रिम रूप से भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन, आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
(3) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।
(4) योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
(5) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
(6) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-6/2025/बी-1-352 /दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक 3055-सड़क परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-'विभागीय पोर्टल को ए०आई० आधारित डैशबोर्ड से जोड़ा जाना'-16 'व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान की मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 लाख (रू0 दस करोड़ मात्र) से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-9-269-X-2025-26, दिनांक 05 फरवरी, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-32 /2026/ **I/1228337**(1)/30-3-2026, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।